खण्ड-14 संख्या-11

दशम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

बुधवार तिथि 13 जुलाई 1994 ई0

एन०एच० 28 से सम्पर्क रहने के कारण यह पथ अत्यन्त चालू पथ है ?

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का आर०ई०ओ० से स्थानातरित कर पथ निर्माण विभाग में लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) इस पथ की लम्बाई लगभग 7 कि0मी0 है जिसके पुन:निर्माण की अनुमानित लागत 36 लाख रूपये है ।

वर्त्तमान योजना अधिसीमा में इस कार्य को लेना सम्भव नहीं है ।

मुकदमा वापस लेना

543. **श्री टेक लाल महतो** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि मोतीहारी तिरहुत नहर प्रमंडल के अधीन बने हुए 8 संरचनाओं में लगे मसालों के विश्लेषणों के आधार पर विभाग द्वारा 6 पदाधिकारी को दिनांक 25.9.82 को निलंबित कर फौजदारी मुकदमा करने का आदेश दिया गया था,

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 8 संरचनाओं के जांच प्रतिवेदन में वर्णित एक स्थल 45.02 बिन्दु पर कोई संरचना ही नहीं बना था,

(3) क्या यह बात सही है कि मसालों के विश्लेषण प्रतिवेदन में जांच पदा० (अधी० अभि०) अभियंता प्रमुख तथा आयुक्त एवं सचिव द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उक्त 6 पदाधिकारियों को दोष मुक्त करने की अनुशंसा अक्टूबर 84 में की गई थी, जिसे सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान की थी जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है,

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो विभाग द्वारा फौजदारी मुकदमा वापस नहीं लेने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए क्या सरकार फौजदारी मुकदमा वापस लेना चाहती है यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदानन्द सिंह : (1) प्रसंगाधीन पदाधिकारियों के विरुद्ध मात्र मसालों में गड़बड़ी करने का आरोप नहीं था, अपितु उनके विरुद्ध कई अन्य गम्भीर प्रकार के आरोप थे, जिन्हें प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाकर संबंधित 6 पदाधिकारियों को निलंबित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

(2) वस्तुतः चिरैयावितरणी के बिन्दु 45.02 पर कोई संरचना स्वीकृत नहीं थी । अतः इसके निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता । जांच पदा0 के जांच प्रतिवेदन में टंकण भूल के कारण वि० दू० 45.02 अंकित हो गया था । वास्तव में यह वि० दू० 42.00 है जहां संरचना का निर्माण हुआ है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुतः आरोपित पदा0 के विरूद्ध कई आरोप थे, जिनमें से एक आरोप मसालों के विशिष्टी के अनुसार नहीं होने का था । जांच के दौरान यह पाया गया कि इस आरोप के लिये संबंधित पदाधिकारियों को संदेह का लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि मसालों का नमूना लेने में

कुछ प्रक्रियात्मक भूल हुई थी । परन्तु अन्य आरोप संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये जिसके आधार पर उन्हें उपयुक्त प्रकार दंडित किया गया ।

(4) चूंकि आरोपित पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त दोषी पाकर दंडित किया गया है और इनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी किया गया जो न्यायालय में लंबित है, और जिसमें निर्णय लेने के लिए न्यायालय ही सक्षम है, अतः मुकदमा को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कनीय अभियंताओं की नियुक्ति

547. **श्री अशोक सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 71/88 द्वारा क0अ0 (असैनिक) की नियुक्ति हेतु प्रकाशित किया गया था,

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में साक्षात्कार के आधार पर बने अधिमान सूची (मैरिट लिस्ट) से पिछड़े वर्ग के 41 (9 पिछड़े वर्ग के शेष पद तथा 32 महिला वर्ग के शेष पद) उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षण नियमावली के अनुसार नहीं की गई है, तथा उच्च वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़ा) के आरक्षित कोई शेष 26 पदों की जगह 35 पदों पर उच्चवर्ग के कनीय अभियन्ताओं की नियुक्ति कर ली गई है,

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पिछड़ी जाति के शेष 41 कनीय अभियन्ताओं की